

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ उदयपुर में एवीवीएनएल के जेईएन को 10,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी सागर मीणा, जेईएन, एवीवीएनएल ऑफिस देबारी, उदयपुर को परिवादी से 10,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. उदयपुर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई कि परिवादी के गांव खाम की मादड़ी स्थित निर्माणाधीन मकान पर घरेलू विद्युत कनेक्शन करने की एवज में सागर मीणा, जेईएन, एवीवीएनएल ऑफिस देबारी, उदयपुर द्वारा रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

परिवादी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर में शिकायत प्रस्तुत की कि उसके निर्माणाधीन मकान पर घरेलू विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने पर उसने ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके पश्चात दिनांक 18.08.2026 को आरोपी सागर मीणा, जेईएन एवं लाइनमैन प्रेमजी द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्वे किया गया तथा विद्युत कनेक्शन के लिए डीपी एवं पोल लगाए जाने की आवश्यकता बताई गई।

परिवादी के अनुसार आरोपी सागर मीणा, जेईएन ने सरकारी डिमांड राशि के अतिरिक्त 35,000/- रुपये खर्चा-पानी के रूप में देने की मांग की। इस संबंध में परिवादी अपने मित्र के साथ आरोपी से मिला। बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत राशि कम करते हुए 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा कहा गया कि जब तक राशि नहीं दी जाएगी, तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी।

परिवादी की शिकायत के संबंध में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी सागर मीणा, जेईएन द्वारा रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा अपने कार्यालय में परिवादी से विद्युत कनेक्शन के लिए 5,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर ली गई तथा शेष 10,000/- रुपये बाद में लेना तय किया गया।

जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक पुलिस, डॉ. रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण में श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के निर्देशन में श्री रामसुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई आयोजित की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को अपने कार्यालय में परिवादी से शेष 10,000/- रुपये नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के पर्यवेक्षण में आरोपी सागर मीणा के उदयपुर एवं बांसवाड़ा स्थित आवासीय मकान एवं फ्लैट की सघन तलाशी के साथ-साथ आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।